DTH POLICY REVAMPED

The new policy on DTH announced by the Govt allows 100% FDI and increases the license span for 20 years. Industry observers feel this will provide stability and certainty to the sector.

The hiking of FDI to 100 per cent will also enable players to monetise their assets and encourage foreign investments in the sector.DTH operators will also be allowed to operate platform channels to a maximum of 5 per cent of their total channel carrying capacity and a one-time non-refundable registration fee of ₹ 10,000 per channel shall be charged from an operator, as per the new guidelines.

DTH operators had been pushing for a level playing field with the cable industry that does not have to pay any licence fee currently.

The salient features of the guidelines are:

i. License for the DTH will be issued for a period of 20 years in place of present 10 years. Further the period of License may be renewed by 10 years at a time.

ii. License fee has been revised from 10% of GR to 8% of AGR. AGR will be calculated by deduction of GST from GR.

iii. License Fee will be collected on quarterly basis in lieu of presently annualbasis.

iv. DTH operators shall be permitted to operate .to a maximum of 5% of its total channel carrying capacity as permitted platform channels. A one-time non-refundable registration fee of ₹ 10,000 per PS channel shall be charged from a DTH operator.

v. Sharing of Infrastructure between DTH operators. DTH operators, willing to share DTH platform and transport stream of TV channels, on voluntary basis, will be allowed. Distributors of TV channels will be permitted to share the common hardware for their Subscriber Management System (SMS) and Conditional Access System (CAS) applications.

v. The cap of 49% FDl in the existing DTH guidelines will be aligned with the extant Government (DPIIT's) policy on FDl as amended from time to time. ■

डीटीएच नीति में बदलाव

सरकार द्वारा घोषित डीटीएच पर नयी नीति 100% एफडीआई की अनुमति देता है और 20 वर्षो के लिए लाइसेंस की अवधि को बढ़ाता है। उद्योग के प्रेक्षकों को लगता है कि यह क्षेत्र को स्थिरता और निश्चितता प्रदान करेगा।

एफडीआई में 100% प्रतिशत की बढ़ोतरी भी कंपनियों को अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करने और क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनायेगी। डीटीएच ऑपरेटरों को अपने कुल चैनल दिखाने की क्षमता के अधिकतम 5 प्रतिशत के लिए प्लेटफार्म चैनल संचालित करने की अनुमति होगी और नये दिशा-निर्देश के अनुसार एक ऑपरेटर से 10,000 रुपये प्रति चैनल की एक बार गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क ली जायेगी। डीटीएच ऑपरेटर केवल उद्योग के साथ एक समान स्तर की व्यवस्था बनाने पर जोर दे रहे थे, जिसे कि मौजूदा में किसी तरह के लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

दिशा-निर्देश की मुख्य विशेषतायें हैंः

i. डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान में 10 वर्षो के स्थान पर 20 वर्षो के लिए जारी किया जायेगा। इसके अलावा लाइसेंस की अवधि को एकबार में 10 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

ii. लाइसेंस शुल्क को एजीआर के 8% से जीआर के 10% तक संशोधित किया गया है। जीआर से जीएसटी की कटौती के बाद एजीआर की गणना की जायेगी।

iii. वर्तमान में वार्षिक शुल्क के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।

iv. डीटीएच ऑपरेटरो को अनुमति दिये गये प्लेटफार्म चैनल के रूप में अपने कुल चैनल दिखाने की क्षमता के अधिकतम 5% के लिए संचालन की अनुमति दी जायेगी। डीटीएच ऑपरेटर से 10000 रुपये प्रति पीएस चैनल का एक बार गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क लिया जायेगा।

v. डीटीएच ऑपरेटरो के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर की साझेदारी। टीवी चैनलों की ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम और डीटीएच प्लेटफार्म को स्वैच्छिक आधार पर डीटीएच ऑपरेटर के साथ हिस्सेदारी की अनुमति दी जायेगी। टीवी चैनलों के वितरकों को अपने सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) और कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) आवेदनों के लिए सामान्य हार्डवेयर की हिस्सेदारी की अनुमति दी जायेगी।

vi. मौजूदा डीटीएच दिशा-निर्देशों में 49% एफडीआई की कैप को समय-समय पर संशोधित एफडीएल पर मौजूदा सरकार (DPIIT) की नीति के साथ जोड़ा जायेगा। ■